28/8/2023

अधिवक्ता वारीगण अनुपस्थित। आवाज लगाकर गई। ~~अधिवक्ता~~ वारीगण अथवा वारीगण स्वयं उपस्थित नहीं हुए एवं न ही प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम ~~के~~ हेतु वादपत्र एवं प्रतिवादी संख्या 02 की तलबी का नोटीस ही प्रस्तुत किया है। अतः वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

2013/00657

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़